

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2020—भाद्र 9, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. बी-8-21-2020-चौदह-2.—भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2015-क्रेडिट II दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्र. 226, दिनांक 14 जुलाई 2020 को जारी की जा चुकी है. जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये संलग्न सूची अनुसार जिला सीहोर में पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची
निम्नलिखित पटवारी हल्कों में संशोधन जारी किया जाता है ।

मौसम	खरीफ		वर्ष	2020	पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.मं.का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	धान - सिंचित	धान - असिंचित	सोयाबीन	तूअर	बाजरा	मक्का
सीहोर	रेहटी	सलकनपुर	1	सेमरी	सेमरी, देलावाडी		धान - असिंचित				
सीहोर	रतनपुर	सलकनपुर	2	रतनपुर	रतनपुर, खनपुरा		धान - असिंचित				